THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (e) Provisions of the Uruguay Round Agreements do not apply directly but are to be given effect to through national legislation by the member-states. Legislation is being drafted which will incorporate the scope of coverage and the rights of the farmers, researchers and plant breeders.

"गैट" समझौते में विश्व पेटेंट कानून

6301. **श्री अनन्त राम जायसवाल :**

श्रीमती सरला माहेश्वरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैट" समझौते में विहित भौतिक सम्पदा अधिकारों (पेटेन्ट, व्यापार चिन्ह, प्रतिलिप्याधिकार आदि) के संबंध में विश्व पेटेन्ट कानून की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है तथा यह किन-किन मुद्दों पर वर्तमान भारतीय पेटन्ट कानून से भिन्न है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों पर "गैट" पेटेन्ट कानूनों का अलग-अलग क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि "गैट" वार्ताओं में विश्व पेटेन्ट कानून के प्रारूप तथा इसके उपबन्धों को शामिल किये जाने के प्रति भी भारत शुरू से ही आपत्ति प्रकट करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ख) ट्रिप्स करार में अन्य बातों के साथ-साथ पेटेन्ट भी कवर होते हैं और यह भारतीय पेटेंट अधिनियम से मुख्यतया जिन मामलों में भिन्न होते हैं : पेटेंटिंग के कार्य क्षेत्र प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्र उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत आते हैं) : पेटेंट की अवधि (20 वर्ष) तथा अनिवार्य लाइसेंसिंग (अधिकार के आटोमेटिक लाइसेंस इसमें शामिल नहीं हैं और अनिवार्य लाइसेंसों को प्रदान करने में शर्तें लगी हैं) पौध किस्मों को पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु इन्हें स्वतः अद्वितीय प्रणाली के जरिए संरक्षित किया जा सकता है। इसके कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। उद्योग का केवल वही भाग प्रभावित होगा जो अन्यत्र पंजीकृत पेटेंटों पर आधारित रिवर्स इंजीनियरी उत्पादों पर निर्भर है, परन्तु इस भाग को भी संक्रमण अवधि में सुरक्षा-व्यवस्था या कुशन प्रदान किया जाएगा।

भारत ने ट्रिप्स करार की वार्ता में सक्रिय भाग लिया और ऐसा करने में भारत का उद्देश्य यह था कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार धारक के अधिकारों तथा लोकहित के सरोकारों के बीच संतुलन प्राप्त किया जाए।

"गैट" समझौते में अन्तर्विष्ट उदारीकरण, सीमाशल्क, विदेशी पूंजी संबंधी उपबंधों का क्रियान्वयन

6302. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**

श्रीमती सरला माहेश्वरी:

श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "गैट" समझौते में अंतर्विष्ट उदारीकरण, सीमाशुल्क, विदेशी पूंजी निवश उपायों तथा सेवा व्यापार से संबंधित प्रावधानों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त क्रियान्वयन को आरम्भ करने के संबंध में संयुक्त-राज्य अमरीका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ पूर्व मंत्रणा की गई थी; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि "गैट" समझौते के अनुसार चमड़े तथा बिना सिले कपड़ों और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के संबंध में अमरीका तथा यूरोपीय देशों द्वारा भारत पर अधिरोपित वर्तमान कोटा प्रणाली अगले दस वर्षों तक जारी रहेगी ; और

(घ) यदि हां, तो "गैट" समझौते से इन दोनों उद्योगों को क्या-क्या नए लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वस्त्र और पोशाकों की तरह और चमड़े के उत्पाद कोटा प्रतिबंधों के अधीन नहीं है । वस्त्र और पोशाकों के बारे में उरुग्वे दौर के समझौते में बहुरेशा व्यवस्था को चरणबद्ध रूप में खत्म करने की तथा 10 वर्षों की संक्रमणकालीन अवधि की समाप्ति पर वस्त्र क्षेत्र को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में एकीकृत करने की व्यवस्था है । चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की अवधि को 3 वर्षों, 4 वर्षों और 3 वर्षों की तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है । प्रत्येक अवस्था की शुरूआत में, वस्त्र और पोशाक मदों का एक निर्दिष्ट प्रतिशत बहुपक्षीय ढांचे में एकीकृत हो जाएगा ।

उरुग्वे दौर के समझौते के परिणामस्वरूप, टैरिफ में कमी तथा बहुरेशा व्यवस्था के चरणबद्ध रूप में समाप्त होने से भारतीय वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई बाजार पहुंच सुविधाएं मिलेंगी । इन दोनों क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले सुनिश्चित लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि उरुग्वे दौर से उत्पन्न अवसरों का कितना लाभ उठाया गया है ।

"गैट" समझौते में कृषि से संबंधित प्रावधान

6303. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**
श्रीमती सरला माहेश्वरी :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैट" समझौते के अनुसार कृषि से संबंधित प्रावधान क्या-क्या हैं;

(ख) क्या कृषि उत्पादों के अनिवार्य आयात से छूट प्राप्त करते समय भुगतान संतुलन के संकट को ध्यान में रखा जायेगा ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष "गैट" समझौते के अनुसार भुगतान संतुलन के संकट का प्रमाण पत्र पर उसका सत्यापन करने के पश्चात जारी करेगा;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा के संकट पर काबू पा लने के संबंध में सरकार द्वारा की जा रही लगातार घोषणाओं को देखते हुये इस छूट की संभावना क्षीण हो गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात का कोई हिसाब लगाया है कि अनिवार्य आयात के कारण पहले 10 वर्षों तक उसके पश्चात बाद के वर्षों में कृषि उत्पादों के आयात की मात्रा क्या होगी तथा वर्तमान विश्व बाजार भाव के अनुसार उन आयातों का मूल्य क्या होगा ;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कृषि से संबंधित करार का प्रमुख बल इस बात पर है कि व्यापार को विकृत करने वाली आर्थिक सहायताओं को कम किया जाये तथा टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों को कम करके व्यापार को उदारीकृत किया जाये ।